UPME010020542026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० 02, मेरठ।

(1) अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-632/2026

पंजीकरण संख्या-823/2026

1. विशाल चौहान पुत्र अजीत,
2. राजा चौहान पुत्र ओमप्रकाश चौहान,
3. शुभम चौहान पुत्र करनैल सिंह

निवासीगण ग्राम हीरालाल, कस्बा व थाना मवाना, जिला मेरठ।

.....आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

उ०प्र०राज्य

.....विपक्षीगण/अभियोजक

मु०अ०सं०-480/2025,
धारा-191(2),191(3),109(1) बी०एन०एस०,
थाना-मवाना, जिला-मेरठ

UPME010032052026

न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं० 2, मेरठ।

(2) अतिरिक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या-892/2026

पंजीकरण संख्या-1128/2026

1. विशाल चौहान पुत्र अजीत,
2. राजा चौहान पुत्र ओमप्रकाश चौहान,
3. शुभम चौहान पुत्र करनेल सिंह

निवासीगण ग्राम हीरालाल, कस्बा व थाना मवाना, जिला मेरठ।

.....आवेदकगण/अभियुक्तगण

बनाम

उ०प्र०राज्य

.....विपक्षीगण/अभियोजक

मु०अ०सं०-480/2025,
धारा-324(4) बी०एन०एस०,
थाना-मवाना, जिला-मेरठ

दिनांक 06.03.2026

1- यह दोनों अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदकगण/अभियुक्तगण विशाल चौहान, राजा चौहान व शुभम चौहान उपरोक्त की तरफ से उपरोक्त प्रकरण में प्रस्तुत किये गये हैं।

2- अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र मय समर्थित शपथपत्र द्वारा शपथी उपरोक्त में आधार अग्रिम जमानत यह व्यक्त किया गया है कि आवेदकगण/अभियुक्तगण निर्दोष हैं और उन्हें झूठा व फर्जी फंसाया

गया है। आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। वादी द्वारा झूठे व मनगढन्त तथ्यों पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी है। उपरोक्त केस की प्रथम सूचना रिपोर्ट की कथित घटना दिनांक 04.12.2025 की रात्रि 8.30 बजे की बतायी गयी है किन्तु प्रथम सूचना रिपोर्ट अगले दिन दिनांक 05.12.2025 को रात्रि 21.30 बजे दर्ज करायी गयी है तथा देरी का कोई स्पष्टीकरण भी वादी पक्ष द्वारा नहीं दिया गया है। उपरोक्त केस में वादी द्वारा कथित घटना कारित करने का जानबूझकर कोई मोटिव नहीं दर्शाया गया है और वादी द्वारा जानबूझकर उक्त तथ्य को छिपाया गया है। उपरोक्त केस में दर्शाये गये अभियुक्त विशाल चौहान को बहन वैशाली द्वारा दहेज उत्पीडन और छेडछाड करने का एक मु०अ०सं०-449/2025 अन्तर्गत धारा-85, 76, 115(2), 352, 351 (2) बी०एन०एस० व 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम, थाना मवाना पर दिनांक 12.11.2025 कायम कराया गया था। उपरोक्त केस का कथित चुटैल नितिन उक्त घटना का मुख्य अभियुक्त था और एफ०आई०आर० में नामित था, जिसके विरूद्ध वैशाली का 183 बी०एन०एस०एस० का साक्ष्य न्यायालय में दर्ज कराना था किन्तु विपक्षी नितिन व रूचेश चौहान उस केस में फैसला करने और मुल्जिमान के पक्ष में 183 बी०एन०एस०एस० का बयान कराने के दबाव बना रहे थे। जिस पर वैशाली ने दबाव में न आकर इनके खिलाफ बयान दर्ज करा दिया और उसी दिन शाम दिनांक 04.12.2025 को यह फर्जी घटना बताकर उक्त झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया। ताकि दबाव बनाकर समझौता कराया जा सके। उपरोक्त केस में जो चोटें चुटैल को आना दर्शायी गयी हैं, उसमें चुटैल को सड़क दुर्घटना में घायल होना बताया है, जो उसके मैडिकल रिपोर्ट में भी अंकित है। चुटैल का साक्ष्य और मैडिकल रिपोर्ट एक दूसरे को समर्थित नहीं करते हैं तथा एक दूसरे के विपरीत हैं। उपरोक्त केस में चुटैल द्वारा तैयार कराये गये मैडिकल को विवेचक द्वारा संदिग्ध माना गया है तथा इसी कारण विवेचक द्वारा उपरोक्त केस में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के माध्यम से चुटैल के मैडिकल को रि-एग्जामिन कराने के आदेश कराये गये है। जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थीगण/आवेदकगण द्वारा चुटैल को कोई चोट नहीं पहुंचाई गयी है।उपरोक्त केस में किसी भी प्रार्थीगण/आवेदकगण का कोई स्पेशिफिक रोल नहीं बताया गया है। प्रार्थीगण/आवेदकगण का पूर्व में कोई अपराधिक इतिहास नहीं है। आवेदक/अभियुक्तगण को अपनी गिरफ्तारी का पूर्ण अंदेशा है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं कि प्रार्थीगण/आवेदकगण अपराधी हो या सजायाफ्ता साबित हो। आवेदकगण/अभियुक्तगण का कथित अपराध धारा 438(6) दं०प्र०सं० (धारा 482(4) बी०एन०एस०एस०) के अन्तर्गत नहीं आता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण का यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, अन्य कोई जमानत प्रार्थनापत्र किसी भई न्यायालय में विचाराधीन नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण पूर्व से कभी सजायाफता नहीं है। आवेदकगण/अभियुक्तगण विचारण में पूर्ण सहयोग करेगे। आवेदकगण/अभियुक्तगण माननीय न्यायालय की संतुष्टि हेतु उचित धनराशि के जमानती देने को तैयार है। अतः आवेदकगण/अभियुक्तगण को अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

3- अतिरिक्त अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र में यह व्यक्त किया गया है कि उपरोक्त केस में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज होने के 4 दिन बाद विवेचक द्वारा धारा 324(4) बी०एन०एस० की बढौत्तरी कर देने के कारण उक्त अतिरिक्त जमानत प्रार्थनापत्र प्रस्तुत किया गया है। पत्रावली पर ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि अभियुक्तगण द्वारा पीडित/चुटैल की स्कूटी को जलाया गया था या कोई नुकशान पहुंचाया गया था। चुटैल के बयानों और सी०डी०आर० में भी ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है कि घटना के समय चुटैल व प्रार्थीगण/अभियुक्तगण घटनास्थल पर मौजूद थे। चुटैल की स्कूटी में नुकसान दुर्घटना के कारण हुआ है। अतः उन्हें अग्रिम जमानत पर रिहा किया जाये।

4- संक्षेप में अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि प्रार्थी जगवीर सिंह पुत्र श्री महावीर सिंह, निवासी म०नं० 1378 मौ० हीरालाल मवाना, थाना मवाना, जिला मेरठ का रहने वाला है। दिनाँक 04.12.2025 को रात करीब 08:30 बजे प्रार्थी का पुत्र नितिन चौहान मैडिकल स्टोर से अपनी दवाई लेने गया था। इसके बाद नितिन चौहान ने जे पी कामिल पैट्रोल पम्प हस्तिनापुर रोड से

अपनी सफेद रंग की स्कूटी में पैट्रोल भरवाया। इसके बाद नितिन को पैट्रोल पम्प के पास ही राजा चौहान पुत्र ओमप्रकाश व विशाल चौहान पुत्र अजीत व शुभम चौहान पुत्र करनैल सिंह, निवासीगण मौ हीरालाल मवाना तहसील मवाना, जिला मेरठ, थाना मवाना तथा दो अज्ञात व्यक्तियो ने रोक कर कहा के साले दिवाली के दिन की तेरी हरकत का आज तुझसे बदला लेगें। इन पांच लोगो ने नितिन चौहान पर जान से मारने की नियत से लोहे की राड व डंडो से गम्भीर चोटे पहुंचाई। मौके पर मौजूद कुछ लोगो ने घटना देखी और घटनास्थल पर एम्बूलेन्स मगवायी और नितिन चौहान को सूर्या नर्सिंग होम मेरठ में भर्ती कराया था। जब प्रार्थी सूर्या नर्सिंग होम पहुंचा तो नितिन की हालत बहुत गम्भीर होने के कारण आनन्द हास्पिटल मेरठ में भर्ती करा डाक्टर ने नितिन के सिर का आपरेशन किया। नितिन की हालत गम्भीर है। नितिन की पत्नी की स्कूटी एक्टीवा नं० यूपी 15 डी०ई० 2668 तथा उसका सेम्संग का मोबाईल जिसका नं० 87504XXXXX है, जो अभी तक नहीं मिला है। ये सारी घटना नितिन ने प्रार्थी को आज 05.12.2025 को सुबह बतयी है। प्रार्थी नितिन के ईलाज की व्यवस्था करके अब थाने रिर्पोट लिखवाने आया है। अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है मेरी रिर्पोट दर्ज कड़ी से कड़ी कानूनी कार्यवाही करने की कृपा करे।

5– विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) द्वारा जमानत आवेदन का प्रबल विरोध किया गया तथा अभियुक्तगण का जमानत आवेदन निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया।

6– अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी विस्तार से सुना तथा पत्रावली व पुलिस प्रपत्रो का सम्यकपूर्वक अवलोकन किया।

7– पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित हो रहा है कि प्रस्तुत मामले में प्रथम सूचना रिपोर्ट के अनसार आवेदकगण/अभियुक्तगण पर एक राय होकर वादी मुकदमा के पुत्र पर जान से मारने की नीयत से लोहे की राड व डंडों से हमला कर गंभीर रुप से घायल करने तथा एक्टीवा स्कूटी को क्षतिग्रस्त करने का आरोप लगाया गया है। वादी मुकदमा के द्वारा अपनी धारा 180 बी०एन०एस०एस० के बयानों में प्रथम सूचना रिपोर्ट का समर्थन करते हुए आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा घटना कारित करना बताया है। केस डायरी के पर्चा नं० 7 में चुटैल नितिन चौहान द्वारा अपने धारा 180 बी०एन०एस०एस० के बयान में कथन किया कि "दिनांक 04/12/2025 को समय करीब 07.30 pm बजे मैं अपने घर से दवाई लेने के लिए अपनी पत्नी की स्कूटी से बाजार गया था। सैदीपुर रजवाहे के पास स्थित दुकान से ब्रेड खरीदी एवं SVS कलेज हस्तिनापुर नहर पुल मवाना के गेट के आसपास एक काला कुत्ता रहता है, जिसको मैंने ब्रेड खिलाई तथा जैसे ही मैं अपनी स्कूटी को स्टार्ट करके चला, वैसे ही एक लड़का विशाल मेरी स्कूटी के सामने आ गया, जिसके हाथ में डंडा था, उसने मुझे जान से मारने की नियति से मेरे सिर पर, चेहरे पर एवं शरीर के अन्य हिस्सों पर मुझे डंडों से मारना शुरू कर दिया। तभी वहा दो लड़के राजा और शुभम भी आ गए उन्होंने भी मुझे मारना शुरू कर दिया एवं आपस में कहने लगे कि आज इसको जान से मार दो, जब मैं बेहोश हो गया तो ये लोग मुझे मरा हुआ समझकर मुझे वहीं कुछ दूरी पर सड़क के किनारे बालू के ढेर पर डाल कर चले गए। काफी देर तक मैं वहीं पड़ा रहा, जब मुझे कुछ समय बाद होश आया तो मैं वहां से पैदल चलकर कामिल पेट्रोल पंप पर आया, जहाँ पर किसी ने एम्बुलेंस मंगाकर मुझे अस्पताल में भर्ती कराया।" केस डायरी के पर्चा नं० 11 में चुटैल का डा० पुनीत कालरा का बयान अंकित किया गया, जिनके द्वारा चुटैल का आपरेशन किया गया, ने अपने बयान में बताया कि "घायल नितिन को दिनांक 05/12/25 को करीब 02:05 AM बजे घायल के पिता श्री जगवीर सिंह द्वारा ACCIDENT होना बताकर भर्ती कराया गया था। नितिन के सिर व चेहरे पर चोट लगी थी। नितिन के Comminuted depressed fracture of left parietal bone, left temporal bone, left maxillary sinus and left zygomatic arch हुआ था। मेरे द्वारा नितिन का zygomatic arch का ऑपरेशन किया गया था। नितिन को आई चोट से उसकी जान जा सकती थी। घटना में चुटैल को आयी चोटो का आनन्द अस्पताल में NCCT HEAD WITH 3D FACE किया गया, जिसमें यह पाया गया कि– Subdural hemorrhage of thickness

approx 4.0 mm in left parietal convexity causing no significant mass effect on underlying brain parenchyma. Multiple contusion hematomas in left temporo–parietal lobe. Comminuted & depressed fracture of left parietal bone, left temporal bone, left maxillary sinus and left zygomatic arch. Hemosinus involving all paranasal sinuses. Extracalvarial soft tissue contusion/edema in left parietal region. केस डायरी के पर्चा नं० 20 में चुटैल का डा० अजय गुप्ता का बयान अंकित किया गया, जिनके द्वारा चुटैल का डा० पुनीत कालरा के साथ मिलकर आपरेशन किया गया, ने भी अपने बयान में बताया कि "नितिन के सिर व चेहरे पर चोट लगी थी। नितिन के Comminuted depressed fracture of left parietal bone, left temporal bone, left maxillary sinus and left zygomatic arch हुआ था। मेरे द्वारा नितिन का zygomatic arch का ऑपरेशन किया गया था। नितिन के सिर में चोटे आयी थी। नितिन के सिर में अन्दर खून की क्लोटिंग एवं सूजन आ गयी थी। नितिन को लगी सारी चोट गंभीर प्रकृति की थी।" श्री रामवरन सिंह द्वारा घटना में क्षतिग्रस्त स्कूटी का तकनीकी मुआयना किया गया, जिनके द्वारा यह कथन किया गया कि "यदि एक्सीडेंट होता तो दोपहिया वाहन के सडक पर गिरने की संभावना बहुत ज्यादा होती है, जिस कारण लोहे का कोई ना कोई भी पाट्र्स दबा हुआया टेडा–मेडा आवश्य होना चाहिये। इसलिये एक्सीडेंट की संभावना ना के बराबर प्रतीत होती है।"

8– आवेदकगण/अभियुक्तगण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामित अभियुक्तगण है। चुटैल को आयी चोटों की मैडिकल रिपोर्ट केस डायरी पर संलग्न है। प्रस्तुत प्रकरण जघन्य अपराध पर आधारित है। हत्या के प्रयास के मामले में आघात/चोट की प्रकृति महत्वपूर्ण नहीं होती है, बल्कि अपराध कारित करने का दुराशय महत्वपूर्ण होता है। आवेदकगण/अभियुक्तगण पर जिस अपराध का अभियोग है, वह गंभीर एवं गैर जमानतीय है। आवेदकगण/अभियुक्तगण पर कथित घटना के संबंध में उसके विरुद्ध केस डायरी में पर्याप्त साक्ष्य है तथा अन्य साक्ष्य संकलन की कार्यवाही की जा रही है, जहां और साक्ष्य संकलन होना है। आवेदक/अभियुक्त पर जिस अपराध का अभियोग है, वह गंभीर एवं गैर जमानतीय है।

9- इस प्रकार मामले के तथ्यों एव परिस्थितियों तथा आवेदकगण/अभियुक्तगण द्वारा गम्भीर अपराध कारित करने तथा उनके विरूद्ध अभियोग सदभावी प्रतीत होने के कारण अग्रिम जमानत का पर्याप्त आधार नहीं है। तद्नुसार आवेदकगण/अभियुक्तगण का अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

आवेदकगण/अभियुक्तगण **विशाल चौहान, राजा चौहान व शुभम चौहान** उपरोक्त के अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाते हैं।

दिनांक-17.03.2026

(चन्द्र शेखर मिश्र)
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/
विशेष न्यायाधीश (ई०सी०एक्ट), मेरठ।